दिनाक 07.06.2022
प्रेस विज्ञप्ति 07/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद प्रयागराज/थाना फाफामऊ

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 बलेनो कार बरामद**

दिनांक 07.06.2022 को थाना फाफामऊ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोहरी रेलवे क्रासिंग के पास चेकिंग के दौरान 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–जावेद अहमद 2–फैज उर्फ फैजू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 बलेनो कार बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त जावेद अहमद के विरूद्ध जनपद प्रयागराज के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना फाफामऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 147/2022 धारा 147/148/149/216ए/302/307/120बी/427 भादवि में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना फाफामऊ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–जावेद अहमद निवासी रूदापुर थाना फाफामऊ जनपद प्रयागराज।

2–फैज उर्फ फैजू निवासी रूदापुर थाना फाफामऊ जनपद प्रयागराज।

बरामदगी

1—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस।

2—घटना में प्रयुक्त 01 बलेनो कार।

जनपद सम्भल/थाना हजरतनगर गढ़ी

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद**

दिनांक 06.06.2022 को थाना हजरतनगर गढ़ी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सैन्टलुकस आई हॉस्पिटल ईशागढ़ के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में एक आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शहजाद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सम्भल के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली सम्भल पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हजरतनगर गढ़ी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शहजाद निवासी मो0भूड़ा सरायतरीन थाना हयातनगर जनपद सम्भल।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

जनपद प्रयागराज/थाना सोरांव

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 07.06.2022 को थाना सोरांव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेवइत स्टेशन के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त तुफानी उर्फ संजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना सोरांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 285/2022 धारा 396/302/307/308/120बी/412 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सोरांव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—तुफानी उर्फ संजीत कुमार निवासी गोहरी थाना फाफामऊ जनपद प्रयागराज।

जनपद जौनपुर/थाना जफराबाद

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **08 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 28 टावर बैट्री**
- **15 हजार रूपये नगद, मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस**
- **01 स्कार्पियो वाहन आदि बरामद**

दिनांक 07.06.2022 को थाना जफराबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेलाव पुल के पास से 08 अभियुक्तों 1—शिवम 2—अरविन्द 3—सुजीत 4—अनिल 5—सुनील 6—बेचन 7—राजेश 8—मनीराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 28 टावर बैट्री, 15 हजार रूपये नगद, मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 स्कार्पियो वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके कब्जे से बरामद टावर बैट्री जनपद जौनपुर में पंजीकृत चोरी की घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जफराबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शिवम निवासी मोहिद्दीनपुर थाना जफराबाद जनपद जौनपुर।

2—अरविन्द निवासी मोहिद्दीनपुर थाना जफराबाद जनपद जौनपुर।

3—सुजीत निवासी मोहिद्दीनपुर थाना जफराबाद जनपद जौनपुर।

4—अनिल निवासी मोहिद्दीनपुर थाना जफराबाद जनपद जौनपुर।

5—सुनील निवासी मोहिद्दीनपुर थाना जफराबाद जनपद जौनपुर।

6—बेचन निवासी मोहिद्दीनपुर थाना जफराबाद जनपद जौनपुर।

7–राजेश निवासी मोहिद्दीनपुर थाना जफराबाद जनपद जौनपुर।

8–रामनरेश निवासी चिनचिनी थाना वानगाँव जनपद पालघर महाराष्ट्र।

बरामदगी

1–चोरी की 28 टावर बैट्री।

2–15 हजार रूपये नगद, मोबाइल फोन।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

4–01 स्कार्पियो वाहन आदि।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना इब्राहिमपुर

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 16 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 07.06.2022 को थाना इब्राहिमपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शिवागंज बैरियर के पास चेकिंग के दौरान 02 शातिर अभियुक्तों 1–अमित कुमार 2–भीम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 16 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अमित कुमार के विरूद्ध जनपद सुलतानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग एवं अभियुक्त भीम प्रकाश के विरूद्ध जनपद अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानो में धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट के 02 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद सुलतानपुर, अयोध्या, बस्ती, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, लखनऊ व आसपास के जनपदो से वाहन चोरी कर ग्राहक मिलने पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना इब्राहिमपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमित कुमार निवासी उमरावा थाना भीटी जनपद अम्बेडकरनगर।

2–भीम प्रकाश निवासी उमरावा थाना भीटी जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 16 मोटर साइकिल।

जनपद अमेठी/थाना जायस

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल**
- **01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद**

दिनांक 07.06.2022 को थाना जायस पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नसीराबाद रोड गंगाराम पुरवा के पास चेकिंग के दौरान 02 शातिर अभियुक्तों 1–अनीश उर्फ शेरा 2–सैफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल, 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो आसपास के जनपदो से वाहन चोरी कर ग्राहक मिलने पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना जायस पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनीश उर्फ शेरा निवासी बेहटा मुर्तजा थाना जायस जनपद अमेठी।

2–सैफ निवासी हटिया थाना जायस जनपद अमेठी।

बरामदगी

1–चोरी की 05 मोटर साइकिल।

2–01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा।

- **जनपद गोरखपुर/थाना तिवारीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या–04 जनपद गोरखपुर द्वारा थाना तिवारीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त गुरूदयाल उर्फ सूरज को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख 70 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बाराबंकी/थाना रामनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या–46 जनपद बाराबंकी द्वारा थाना रामनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(2)(1)/511 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त लाली को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ–अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्य 18.500 किलो चरस के साथ गिरफ्तार।

दिनॉकः 06–06–2022 को एस0टी0एफ उ0प्र0 को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्यों को 18.500 किलोग्राम चरस (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 93 लाख रूपये) के साथ जनपद कानपुर ग्रामीण से गिरफ्तार करने में उल्लखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–</u>

1– मनोज चौधरी पुत्र लक्ष्मन चौधरी, निवासी मिस्काउट, जिला मोतीहारि, (बिहार)

2– रौनक पटेल पुत्र सन्तोष पटेल, निवासी हरैइया, रक्सौल (बिहार)

3– मेराज आलम पुत्र मो0 हलीम धोबी, निवासी पीपरपाती, थाना रामघडवा, बिहार।

<u>बरामदगी–</u>

1– 18.500 किलोग्राम चरस (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य लगभग 93 लाख रूपये)

2– 03 अदद मोबाइल फोन।

3– नगद 1680/– रूपये भारतीय मुद्रा व 2050/– रूपये नेपाली मुद्रा।

<u>गिरफ्तारी का समय व स्थान–</u>

एम0जी0ए0 कॉलेज के सामने प्रयागराज, कानपुर हाईवे पर थाना क्षेत्र महाराजपुर कानपुर ग्रामीण, दिनांक 06–06–2022 समय करीब 18:45।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनो से विभिन्न माध्यमो से निरन्तर यह सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, कि भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ (चरस) की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य पुनः सक्रिय हो गये है, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदो में भारी मात्रा मे चरस की खेप कैरियरो के माध्यम से भेजने वाले है। इस सूचनाओ को विकसित कर कार्यवाही करने हेतु एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन करने एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। जिसके अनुपालन में निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के

पर्यवेक्षण एवं उ0नि0 मो0 फिरोज खान के नेतृत्व में आरक्षी सुशील कुमार एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई कानपुर द्वारा अभिसूनायें संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, तो कई लाभप्रद एवं महत्वपूर्ण विश्वसनीय सूचनाएं उक्त अवैध मादक पदार्थ के अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के सम्बन्ध मे प्राप्त हुई।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांकः 06—06—2022 को मुखबिर के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि मादक पदार्थ (चरस) की तस्करी करने वाले गिरोह के कुछ सदस्य चरस की खेप लेकर नेपाल से बिहार, पटना, चन्दौली, प्रयागराज, कानपुर होते हुए फिरोजाबाद जायेगे। मुखबिर से प्राप्त उक्त सूचना से उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई कानपुर टीम द्वारा समय करीब 13:35 बजे प्रयागराज—कानपुर हाईवे पर छिवली नदी पुल के पास से 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि रौनक पटेल पुत्र संतोष पटेल जो कि रक्सौल (नेपाल बार्डर) के निवासी है, जो काफी समय से अवैध मादक पदार्थ (चरस) की तस्करी में लिप्त था तथा वर्तमान समय में नेपाल की जेल निरूद्ध है। इसके पश्चात रोशन पटेल की मॉ बबिता ने उक्त कारोबार को करना शुरू किया। मादक पदार्थो के तस्करो से सम्पर्क स्थापित करने के लिये बबिता कुछ दिनो तक जनपद औरैया में आकर रूकी रही, जहॉ पर उसने शीलू नामक व्यक्ति जोकि मादक पदार्थो की तस्कारी में पूर्व से लिप्त था, के माध्यम से पिकप गाड़ी नं0 यूपी 79 टी 5095 में स्कीम बनवा कर अपने पुत्र रोशन पटेल व आशीष टक्कर के माध्यम से अवैध चरस की खेप को शैलेन्द्र उर्फ शीलू सोनी के पास भेजा था।

एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट कानपुर द्वारा शैलेन्द्र उर्फ शीलू तथा रौनक पटेल का सगा भाई रोशन पटेल व अन्य को दिनांक 25—04—2022 को पिकप गाड़ी नं0 यूपी 79 टी 5095 में 85.600 किलोग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना बर्रा पुलिस कमिश्नेट कानपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पिता व भाई के जेल जाने के उपरान्त रौनक पटेल उपरोक्त मादक पदार्थ के

तस्करो से सम्पर्क स्थापित कर उन्हे काठमान्डू नेपाल में चरस तैयार कराकर कैरियरो के सहयोग से पहुचाने लगा, जो इस बार भोला उर्फ आमिर निवासी मकान न0 65 जमइया टोला, नियर कबूतर मण्डी, जनपद फिरोजबाद को चरस पहुॅचाने जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना महाराजपुर जनपद कानुपर ग्रामीण में मु0अ0सं0 194/2022, 195/2022 व 196/2022 धारा 8/20/22/23/25/60 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है, अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

————————